ग्राम पंचायत खब्बल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 **प्रस्तावना (क) :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खब्बल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति संतोष कुमारी	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री धीरज कुमार	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री रविन्द्र कुमार	1-4-2014 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत खब्बल के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.03
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	9.21
3	9	निर्माण कार्यों का मूल्याँकन (ASSESSMENT) अनुचित रूप से करनें के कारण अधिक भुगतान	0.62
4	10	निविदाएँ प्राप्त किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय	0.63

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत खब्बल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 20-1-2018 से 27-1-2018 तक ग्राम पंचायत खब्बल में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से

किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	3/2015	9/2014
2015-16	8/2015	2/2016
2016-17	6/2016	9/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत खब्बल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38 /2018 दिनांक 27-1-2018 **द्वारा** अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत खब्बल **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-**ग्राम पंचायत खब्बल के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	30626	42464	73090	21209	51881
2015-16	51881	15315	67196	49380	17816
2016-17	17816	48364	66180	36518	29662

(2) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत खब्बल के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	404651	747885	1152536	763737	388799
2015-16	388799	823760	1212559	646111	566448
2016-17	566448	2270984	2837432	1916291	921141

5 **बैंक समाधान विवरणी :**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत खब्बल के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में जमा राशि का अंतर ₹1500 था जिसका समाधान विवरण परिशिष्ट (2) पर सलंग्न है ।

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹29662

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹921141

योग ₹950803

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था ।

क्र. सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	KCC NAGROTA SURIAN	20027080216	**31162**
2	KCC NAGROTA SURIAN	20027081720	**592349**
3	KCC NAGROTA SURIAN	50055887427	**18783**
4	KCC NAGROTA SURIAN	50055887461	**81518**
5	KCC NAGROTA SURIAN	50055887507	**173049**
6	KCC NAGROTA SURIAN	50055881483	**44021**
7	KCC NAGROTA SURIAN	50055887518	**4090**
8	KCC NAGROTA SURIAN	50055887529	**479**
9	KCC NAGROTA SURIAN	50059948455	**6390**
10	KCC NAGROTA SURIAN	50057911652	**462**
		T0TAL	**952303**
		CASH IN HAND	**0**
		G,TOTAL	**952303**

अन्तर = ₹952303 - ₹950803 = ₹1500

6 **बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 **पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेष :-**

पंचायत सचिव खब्बल **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व (गृहकर) की ₹3210 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए ।

1. **गृहकर :**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014-15	00	2860	2860	00	2860
2015-16	2860	8400	11266	00	11260
2016-17	11260	8400	19660	16450	3210

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 **अनुदान ₹9.21 लाख का उपयोग न करना ;-**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹921141 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

9 **निर्माण कार्यों का मूल्याँकन (ASSESSMENT) अनुचित रूप से करनें के कारण ₹0.62 लाख का अधिक भुगतान**

ग्राम पंचायत **द्वारा** MGNREGA के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों का मूल्याँकन (ASSESSMENT) करते समय 15 % संविदाकार लाभ तथा OH चार्जेज की कटौती न करने के कारण **₹62161** का अधिक भुगतान किया गया जो कि अनुचित है | अत: इस बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए अन्यथा राशी की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाए |

Vr No.	Month	Name of work	Labour Assessment	15% CP&OH CHARGES NOT DEDUCTED	Mb no. &page no.
8	9/2014	निर्माण वाटर टैंक अनुपम	47320	7098	9046, P89

		कौंडल की जमीन में			
9	9/2014	निर्माण वाटर टैंक महिंद्र सिंह की जमीन में	45586	6838	9046, P74
10	9/2014	निर्माण वाटर टैंक मांडू राम की जमीन में	48368	7255	9046, P79
11	9/2014	निर्माण वाटर टैंक करमचन्द की जमीन में	47732	7160	9046, P84
16	9/2014	निर्माण वाटर टैंक विनोद कुमार की जमीन में	47851	7178	8129, P8
18	9/2014	निर्माण वाटर टैंक अरविन्द सिंह की जमीन में	47416	7112	8129, P17
22	9/2014	निर्माण वाटर टैंक साहिब सिंह की जमीन में	45927	6889	8129, P94
4	9/2014	निर्माण वाटर टैंक गुरदास सिंह की जमीन में	42992	6449	8129, P4
6	9/2014	निर्माण वाटर टैंक चंदु लाल की जमीन में	41212	6182	8129, P11
			योग	**62161**	

10 **निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ₹0.63 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹63166 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना निविदाएँ आमंत्रित किए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया । अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए ।

MGNREGA

वा संख्या	**मास**	**मद का नाम**	**मात्रा (CUM/CUF)**	**दर**	**राशि**
8	9/2014	(i)रेत (ii)बजरी	6 m^3 13 m^3	450 450	2700 5820
10	9/2014	(i)रेत (ii)बजरी	7 m^3 14.59 m^3	450 450	3150 6525 (Paid less)
11	9/2014	(i)रेत (ii)बजरी	5 m^3 12.5 m^3	400 400	2000 5000
23	9/2014	शटरिंग	-	-	3522
24	9/2014	शटरिंग	-	-	3292
25	9/2014	शटरिंग	-	-	3316
26	9/2014	शटरिंग	-	-	3916
28	9/2014	(i)रेत	7 m^3	400	2800

		(ii)बजरी	14.5 m^3	400	5800
29	9/2014	(i)रेत (ii)बजरी	7 m^3 13 m^3	450 450	2700 5850
General Cash Book					
54	2/2016	(i)रेत (ii)बजरी (iii) पत्थर	2.652 m^3 5.023 m^3 3.84 m^3	600 650 500	1591 3264 1920
				कुल योग	**63166**

11 **नियमविरुद्ध एकाधिक रोकड़ वहियों का निर्माण करने बारे:---**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ वही में लेखांकित किये जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत **द्वारा** उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार वर्तमान में 11 अलग-अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अत: नियमों के विरुद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन 11 रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बंद करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

12 **प्राप्त अनुदानों के लिए रसीदें जारी न करना :--**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

13 **मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवलेहना :--**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 102(1से7) के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रोल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए "मस्टरोल जारी करने के रजिस्टर" में प्रविष्टी के उपरान्त जारी किये जाएँगे। इन्हीं नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रोल का अभिलेखन व अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की कार्य पद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किये गये मस्ट्रोल की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है। मुख्य रूप से इन मस्ट्रोल में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई :--

1 श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छ: दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) दिया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गयी तथा विशेषकर मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रोल में मजदूरों द्वारा लगातार छ: दिन से अधिक कार्य किये जाने के वाबजूद भी उन्हें PAID HOLIDAY (सवेतनिक अवकाश) नहीं दिया गया जो कि नियमों की अवहेलना है।

2. मस्ट्रोल के भाग -3 जिसमें मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण दिया

जाता है को पंचायत द्वारा ख़ाली रखा गया जिस कारण मस्ट्रोल में किये गये कार्य तथा उसके विरुद्ध किये गये भुगतान की तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

3. प्रयोग किये गये मस्ट्रोल में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है । मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों से सम्बन्धित विकास/ निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है ।

4. मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियंता / तकनीकी सहायक द्वारा किये गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण भुगतान की गयी राशि को किये गये कार्य की प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका ।

5. मस्ट्रोल में कुछ कॉलमों को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं ।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां :---

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं :--

1 ग्राम पंचायत **द्वारा** निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के " परिशिष्ट – ई " में दिए गये **अनुबंध प्रारूप के अनुसार अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी I परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है I**

2. बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेवार पंचायत पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है जिस के कारण किये गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है I इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता / तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है I

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच में कठिनाई आई है I इस **बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I**

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता

सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किये गए हैं I अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली की उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरुद्ध होने के कारण अनियमित भी है I

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 104(2)(1) में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किये गए कार्य की जाँच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता , सहायक अभियन्ता आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख में एसी किसी भी जाँच के प्रमाण अथवा प्रमाण पत्र नहीं पाए गए हैं । यह स्पष्टतय: सिद्ध करता है कि पंचायत **द्वारा** निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्य प्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है । इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए । इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरुद्ध किये गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्च अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए ।

15 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	वर्गीकृत सार रजिस्टर	8	29(4)

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

18 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)179/2018 खण्ड–1–3336–3339 दिनांक 14.05.2018 शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत खब्बल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881